डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(आ. 2 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत– सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,सराडा जिला उदयपुर(राज.)
व इजलास– श्री वीरेन्द्र व्यास (आर.ए.एस.)

धनश्यांम सिंह पिता रामसिंह राजपूत
निवासी थाणा तहसील सराडा वगै0

बनाम

चुन्नीलाल पिता गुलाबचन्दजी जैन
निवासी थाणा, तहसील सराडा

वाद – वाद अन्तर्गत धारा 188 बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा रा0टे0ए0
मुकदमा नम्बर – 207/11 राजस्व वाद

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू – हमारे मिनजानिब गुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है, कि ग्राम – मौजा थाणा पटवार मण्डल थाणा तहसील सराड़ा कि आ.न. 592 रकबा 0.32 है, लगानी 1.74 रू0 की कृषि भूमि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे तथा न ही वादी की फसल को नष्ट करे तथा न ही वादी के कृषि कार्यो में किसी प्रकार की कोई रूकावट करें। न ही वादग्रस्त भूमि के चारो तरफ वादी के पत्थरो के कोट को खुर्द–बुर्द करें। तथा न ही वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि से बेदखल करें न ही उक्त जमीन में प्रवेश करे तथा न ही उक्त कृत्य अपने नौकरों व परिजनों आदि से करावें।

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व

मुबलिग– बाबत– का

शहर– फसदी सालाना आज की तारीख वसुलीणयी तक –

अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख – 10.10.2013 को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी
सराड़ा,जिला उदयपुर
ओहदा

मुदई	रूपया पैसा	मुदायला	रूपया पैसा
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प अरजी वकालत नामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजह सबुत		स्टाम्प वजह सबुत	
महनताना वकील ( )		महनताना वकील ( )	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
खर्चा गवाहन		खर्चा गवाहन	
फीस कमिशनर		फीस कमिशनर	
मुतफरिक		मुतफरिक	
मिलान:–		मिजान:–	

उप खण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला उदयपुर